राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1240, 1241, 1242 व 1243/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स युनाईटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, एस.पी.–971, इण्डस्ट्रियल एरिया चौपांकी, भिवाड़ी, अलवर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाड़ी
2. स्टेट ऑफ बिहार जरिये सचिव कम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार
3. स्टेट ऑफ झारखण्ड जरिये सचिव कम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/09/2017	**खण्डपीठ** **श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी कम्पनी के कर निर्धारण वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 (21.12.2016 तक) के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। साथ ही अपीलार्थी कम्पनी ने उक्त आदेशों से सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा एक अनुबंध के जरिये अपने उत्पाद बियर का विक्रय झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची को किया गया था परन्तु उस माल का विक्रय अपीलार्थी कम्पनी की झारखण्ड स्थित ब्रांच के जरिये किया जाने के आधार पर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा राजस्थान से माल का स्टॉक ट्रांसफर उनकी झारखण्ड स्थित शाखा पर किया जाना एवं झारखण्ड स्थित शाखा से अन्तिम खरीदार झारखण्ड स्टेट ब्रेवरीज को विक्रय किया जाना बताया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी एवं क्रेता कम्पनी के बीच किये गये अनुबंध के आधार पर अपीलार्थी द्वारा माल का सीधा विक्रय झारखण्ड के क्रेता को किया जाना माना गया तथा अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत किये गये क्लेम को अस्वीकार कर उसे अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर उस पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गयी। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपने विक्रय संव्यवहार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत होना क्लेम किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार किया गया है, फलतः अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1240, 1241, 1242 व 1243/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स युनाईटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, एस.पी.–971, इण्डस्ट्रियल एरिया चौपांकी, भिवाड़ी, अलवर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाड़ी
2. स्टेट ऑफ बिहार जरिये सचिव कम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार
3. स्टेट ऑफ झारखण्ड जरिये सचिव कम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/09/2017	अपीलार्थी कम्पनी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा समस्त माल का विक्रय झारखण्ड स्थित शाखा के द्वारा किया गया था एवं राजस्थान से माल का ट्रांसफर स्वयं की शाखा को किया गया था अर्थात् माल का सीधा विक्रय राजस्थान से झारखण्ड की क्रेता कम्पनी को नहीं किया गया था। यह विशिष्ठ उल्लेख किया कि झारखण्ड के शराब सम्बन्धी अधिनियम के अनुसार वह अन्य राज्य से माल की खरीद कर ही नहीं सकते थे ऐसी स्थिति में राजस्थान से माल का सीधा विक्रय क्रेता को नहीं किया गया है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके ब्रांच ट्रांसफर के तहत दर्शाये किसी संव्यवहार को धारा 6ए के विरूद्ध बताये जाने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, बल्कि केवल उनके अनुबंध के आधार पर ही करारोपण किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने स्वयं यह प्रकट किया कि उनके इसी तरह के मामले में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व में अपील संख्या 1229 व 1230/2014 आदेश दिनांक 24.11.2014 में दिये निर्णय में ऐसे संव्यवहार को स्टॉक ट्रांसफर न मानकर अन्तर्राज्यीय विक्रय माना गया है तथा शास्ति एवं ब्याज को भी यथावत रखा गया है, परन्तु माननीय कर बोर्ड के आदेश के विरूद्ध माननीय केन्द्रीय अधिकरण में अपील की गयी है एवं वहां सुनवाई लम्बित है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने समस्त विक्रय संव्यवहार बहियात में दर्शाये हुए हैं एवं विभाग को विवरण पत्रों के जरिये घोषणा भी की गयी है ऐसी स्थिति में विवादित संव्यवहारों पर शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं होने से वह भी अपास्तनीय है, अतः सृजित समस्त मांग की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया। लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1240, 1241, 1242 व 1243/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स युनाईटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, एस.पी.–971, इण्डस्ट्रियल एरिया चौपांकी, भिवाड़ी, अलवर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाड़ी
2. स्टेट ऑफ बिहार जरिये सचिव कम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार
3. स्टेट ऑफ झारखण्ड जरिये सचिव कम आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/09/2017	विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के मामले में समान तथ्यों एवं समान अनुबंध के आधार पर पूर्व में आदेश पारित कर आरोपित कर, ब्याज एवं शाास्ति को यथावत रखा गया है, जिसका हवाला कर निर्धारण आदेशों में भी दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में ये प्रकरण माननीय राजस्थान कर बोर्ड के पूर्व के आदेश दिनांक 24.11.2014 से कवर्ड होने से किसी भी तरह का स्थगन दिया जाना विधिविरूद्ध होगा। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का गमनागमन झारखण्ड के क्रेता को एक अनुबंध के तहत विक्रय के रूप में किया गया है एवं माल का ट्रांसफर ब्रांच के नाम से किया जाना बताया गया है। चूंकि इस समान तथ्यात्मक बिन्दु पर अपीलार्थी के मामले में पूर्व में विवाद होने पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1229 व 1230/2014 निर्णय दिनांक 24.11.2014 में अपीलार्थी के संव्यवहारों को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति की पुष्टि की जा चुकी है, अतः समान मामले में इस पीठ द्वारा किसी भी तरह का उक्त प्रकरणों में स्थगन प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है। परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.10.2017 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	